निर्माण एवं विध्वंस के वेस्ट मटेरियल सड़क पर बिखेरकर सड़क बाधा करने वालों पर निगम ने की कार्रवाई, समझाइश देने के बाद भी नहीं मानने वालों से वसूला 24500 रुपए जुर्माना

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल रखकर सड़क बाधा करने तथा निर्माण एवं विध्वंस के मटेरियल को सड़क पर रखकर सड़क बाधा करने वालों पर आज भिलाई निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके लिए आज खुर्सीपार क्षेत्र के बालाजी नगर , लक्ष्मीनारायण नगर, शास्त्री नगर एवं छावनी राजीव नगर का सघन निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने किया। निरीक्षण के दौरान कुछ बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर के द्वारा सड़कों पर रेत, गिट्टी, ईट आदि रखकर सड़क बाधा कर इसका व्यवसाय किया जा रहा था। इसके साथ ही निर्माण एवं विध्वंस के मटेरियल को सड़कों पर रखकर सड़क बाधा करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन सभी से बिल्डिंग मैटेरियल को हटवाकर तथा निर्माण एवं विध्वंस के मटेरियल को हटवाकर जुर्माना वसूल किया गया। पहले सर्वे के दौरान इन सभी को बिल्डिंग मटेरियल हटाने तथा निर्माण एवं विध्वंस के वेस्ट को हटाने की चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके बाद भी निर्माण सामग्री नहीं हटाने पर आज 8 लोगों पर 24500 जुर्माना लगाया गया और दोबारा सड़क बाधा नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सड़क बाधा कर सड़कों पर बिल्डिंग मटेरियल रखने तथा निर्माण एवं विध्वंस के वेस्ट को सड़कों पर रखने वालों पर चेतावनी के साथ ही कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसी तारतम्य में भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इनके भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों के भी परीक्षण किए जाएंगे। भवन निर्माण से संबंधित अनुज्ञा एवं अनुमति की भी जांच की जाएगी। खुर्सीपार के जोन स्वास्थ्य अधिकारी महेश पांडे ने आज अपने सुपरवाइजर की टीम के साथ क्षेत्र के कई वार्ड व मोहल्ला का सघन निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था बरकरार रखने के लिए सी & डी वेस्ट तथा सड़कों पर बिल्डिंग मटेरियल रखने वालों पर कार्रवाई की।